...या डिक्री

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान**

प्रकरण सं0 : 16/2024

अनवान :

मुकेश पुत्र मंगतुराम जाति वाल्मिकी निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।

:– वादी

**बनाम**

1. मंगतुराम पुत्र जेठाराम जाति वाल्मिकी निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
2. सुरेश पुत्र मंगतुराम जाति वाल्मिकी निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
3. लालचंद पुत्र मंगतुराम जाति वाल्मिकी निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
4. प्रमोद पुत्र मंगतुराम जाति वाल्मिकी निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
5. उर्मिला पत्नी राजकुमार जाति वाल्मिकी निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
6. संजय चांवरिया पुत्र राजकुमार जाति वाल्मिकी निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
7. मंजू पुत्री राजकुमार जाति वाल्मिकी निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
8. पूनम पुत्री राजकुमार जाति वाल्मिकी निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
9. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा डाबड़ी जरिए शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा डाबड़ी।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री जयकिशन गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डाबड़ी के खाता सं0 241/247 के खसरा सं0 300 की 1.265 है0 बारानी, ख0सं0 461/2 की 1.1970 है0 बारानी कुल खसरा 2 की 2.462 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मंगतुराम का 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 मंगतुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी मुकेश कुमार व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक को 1/25 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 प्रत्येक को 1/100 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.12.20 10:27:09 IST
Reason: SelfAttested

( कल्पित शिवरान ) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान**

प्रकरण सं0 : 16/2024

अनवान :

मुकेश पुत्र मंगतुराम जाति वाल्मिकी निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।

:— वादी

**बनाम**

1. मंगतुराम पुत्र जेठाराम जाति वाल्मिकी निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
2. सुरेश पुत्र मंगतुराम जाति वाल्मिकी निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
3. लालचंद पुत्र मंगतुराम जाति वाल्मिकी निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
4. प्रमोद पुत्र मंगतुराम जाति वाल्मिकी निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
5. उर्मिला पत्नी राजकुमार जाति वाल्मिकी निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
6. संजय चांवरिया पुत्र राजकुमार जाति वाल्मिकी निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
7. मंजू पुत्री राजकुमार जाति वाल्मिकी निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
8. पूनम पुत्री राजकुमार जाति वाल्मिकी निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
9. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा डाबड़ी जरिए शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा डाबड़ी।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:— प्रतिवादीगण

**दावा बाबत : इस्तकरार हक**

**अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955**

**उपस्थिति :** वकील श्री नरेन्द्र शर्मा **: वादी**

वकील श्री जयकिशन गोदारा **: प्रतिवादी सं0 1 ता 8**

**निर्णय** **दिनांक :** 28.11.2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डाबड़ी के खाता सं0 241/247 के खसरा सं0 300 की 1.265 है0 बारानी, ख0सं0 461/2 की 1.1970 है0 बारानी कुल खसरा 2 की 2.462 है0 बारानी कृषि भूमि जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 मंगतुराम का 1/5 हिस्सा दर्ज है जो पहले वादी के दादा जेठाराम की खातेदारी हुआ करती थी। जेठाराम के देहान्त के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 मंगतुराम ने कर्ता खानदान होने के चलते अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 8 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 9 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादी सं0 10 की ओर से जबावदावा पेश किया गया। ... प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता ... अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.12.20 10:27:09 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में मुकेश कुमार पुत्र मंगतुराम जाति वाल्मिकी निवासी डाबड़ी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम डाबड़ी संवत 2075—78 खाता संख्या 241/247 प्रदर्श 1, खसरा नक्शा एवं जमाबंदी रोही मौजा डाबड़ी खसरा संख्या 300 खाता सं0 241/247 प्रदर्श 2 खसरा नक्शा एवं जमाबंदी रोही मौजा डाबड़ी खसरा संख्या 461/2 खाता सं0 241/247 प्रदर्श 3, खसरा गिरदावरी संवत 2075—78 खसरा संख्या 300 एवं खसरा संख्या 461/2 प्रदर्श 4, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डाबड़ी प्रदर्श 5, शपथ

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

पत्र प्रतिवादी संजय कुमार प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये गये। बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एव प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम डाबड़ी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 6 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 5 में मंगतुराम के पांच पुत्र लालचन्द, सुरेश, मुकेश, प्रमोद व राजकुमार (फौत) है राजकुमार के वारिस उर्मिला पत्नी एक पुत्र संजय चांवरिया व दो पुत्रियां मन्जू तथा पूनम के अलावा सदस्य प्रमाण पत्र में अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा डाबड़ी के खाता सं0 241/247 के खसरा सं0 300 की 1.265 है0 बारानी, ख0सं0 461/2 की 1.1970 है0 बारानी कुल खसरा 2 की 2.462 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी मंगतुराम का 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी मुकेश कुमार व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक को 1/25 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 प्रत्येक को 1/100 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डाबड़ी के खाता सं0 241/247 के खसरा सं0 300 की 1.265 है0 बारानी, ख0सं0 461/2 की 1.1970 है0 बारानी कुल खसरा 2 की 2.462 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मंगतुराम का 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 मंगतुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी मुकेश कुमार व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक को 1/25 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 प्रत्येक को 1/100 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.12.20 10:27:09 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner